

CHAPTER	The Indian Contract Act, 1872
1	

Unit : 1

अनुबन्ध की प्रकृति

- [1] (ब) एक समझौता वैध होने के लिये समझौते को निश्चित तथा सम्भव होना चाहिये। इसे अनिश्चित तथा असम्भव नहीं होना चाहिये। इसलिये भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव समझौता व्यर्थ होता है।
इस प्रकार इस स्थिति में p तथा q के बीच समझौता व्यर्थ होगा क्योंकि p और q असम्भव काम को करने का समझौता बनाए हुए थे।
- [2] (अ) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 को भारतीय संसद ने पारित किया है अर्थात् भारत की आजादी के पहले बनाया गया था।
- [3] (ब) गर्भित स्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति होती है जो शब्दों के अन्यथा प्रदान होती है। दूसरे शब्दों में यह सम्पन्न करा रहे व्यक्ति द्वारा किसी विशेष गतिविधि द्वारा विश्वास दिलाती है कि स्वीकृति सम्पूर्ण हुई। इस प्रकार नीलामी में विक्रय में सबसे अधिक (ऊंची) बोली लगाने वाले को नीलामी कर्ता द्वारा बिना बोले हथौड़ा बजा कर दी गयी विक्रय को गर्भित स्वीकृति कहा जाता है।
- [4] (ब) जब एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी प्रस्ताव का संवहन किया जाता है और दूसरे पक्षकार उसके बदले में कोई अन्य प्रस्ताव रख देता है तो इसे विपरीत प्रस्ताव कहा जाता है। यहां पर ब, अ के लिये एक विपरीत प्रस्ताव रखता है।
- [5] (अ) एक पक्षकार x द्वारा y को 5000 देने का वचन दिया जाता है क्योंकि y ने x को डूबने से बचाया था। यह एक प्रवर्तनीय वचन है। क्योंकि यहां y द्वारा x की जान बचाई गयी थी।
- [6] (अ) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार प्रस्ताव निम्न प्रकार वैध रहता है।
- (a) ऐसे समझौते वैधानिक सम्बन्ध बनाने की दृष्टि से किये जाने चाहिये अपनी एक पार्टी में दोस्तों को आमन्त्रित करना एक सामाजिक गतिविधि है इससे वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य नहीं उत्पन्न हो रहे हैं।
- (b) पक्षकारों के बीच प्रस्ताव निश्चित पक्का तथा स्पष्ट होना चाहिये यदि प्रस्ताव की शर्तें अस्पष्ट या अनिश्चित हैं तो उनकी स्वीकृति से कोई अनुबन्धनात्मक सम्बन्ध नहीं उत्पन्न होगा।
- (c) प्रस्ताव को जिसके प्रति बनाया गया है उसके प्रति संवहन होना चाहिये अन्यथा प्रस्ताव की अज्ञानता में प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी।
- [7] (स) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार एक ठहराव जो कानूनन प्रवर्तनीय नहीं रहते व्यर्थ बन जाते हैं कुछ ठहराव प्रारम्भ से ही व्यर्थ होते हैं उन्हें शुरुआत से ही प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है।
धारा 30 के अनुसार बाजी के समझौते ऐसे समझौते होते हैं जो दो पक्षों के बीच पैसा या पैसा तुल्य भुगतान के अन्तर्गत आते हैं तथा यह किसी घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर करते हैं बाजी के समझौते कहलाते हैं।
इसलिये इस उदाहरण में बाजी का समावेश है अतः अनुबन्ध बाजी के कारण व्यर्थ हो जाएगा।

- [8] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के अन्तर्गत सभी अनुबन्ध से सम्बन्धित कानून का अध्ययन किया जाता है। यह अधिनियम 1 सितम्बर 1872 को प्रवर्तनीय हुआ और यह सारे भारत में लागू हुआ सिर्फ जमू और काश्मीर को छोड़कर।
- [9] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव या स्वीकृति को उसके संवहन पूर्ण होने से पूर्व किसी समय विखण्डित किया जा सकता है। इस शर्त के अनुसार x ने 5 तारीख को एक प्रस्ताव y को भेजा जो 6 तारीख को पहुँचा और 7 को y ने स्वीकृति पत्र भेजा और 6 को x ने प्रस्ताव को खत्म करने का पत्र भेजा इस प्रकार x और y के मध्य कोई प्रस्ताव नहीं हुआ।
- [10] (द)** अप्रवर्तनीय अनुबन्ध अच्छा होता है, परन्तु कुछ तकनीकी कमियों के कारण संघर्ष करता है जैसे लिखित में न होना, परिसीमन द्वारा कालबाधित होना। इस स्थिति में दोनों ही पक्षकार या एक पक्षकार वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
- [11] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 56 के अनुसार ‘ऐसा समझौता जो असम्भव हो’ व्यर्थ कहलाता है। इस प्रकार x और z के बीच जो 5,00,000 रुपये की अदायगी ‘यदि x की पत्ती को z जीवित कर दे’ की बनाई गयी थी यह असम्भव होने के कारण व्यर्थ है।
- [12] (अ)** ‘समझौता’ को भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2(e) के अनुसार व्यक्त किया जाता है।
- [13] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार ‘किसी स्वीकृति को प्रस्तावक के पास पहुँचने से पूर्व किसी भी समय स्वीकृति के विखण्डन को किया जा सकता है। यहां पर y अपनी स्वीकृति को खंडित करने का टेलीग्राम भेज देता है खण्डन तब पूरा माना जाएगा जब टेलीग्राम x प्राप्त करता है।
- [14] (ब)** जब दो पक्षकार एक दूसरे के प्रस्ताव के भुलावे में समान प्रस्तावों का विनिमय करते हैं तो प्रस्तावों को प्रति प्रस्ताव माना जाता है ऐसी दशा में कोई बाध्यकारी अनुबन्ध नहीं होता (वयोंकि एक का प्रस्ताव दूसरे के द्वारा स्वीकृत के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार यह प्रति प्रस्ताव है।
- [15] (स)** एक ठहराव जो उसके एक या अधिक पक्षकारों के चयन पर कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है लेकिन दूसरे या दूसरे के चयन पर नहीं होता तो उसे उस पक्षकार की स्थिति पर व्यर्थनीय माना जाता है। [2(i)]
- [16] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार अनुबन्ध वैध तभी होता है जब इसमें वैधानिक उद्देश्य तथा वैधानिक प्रतिफल दोनों की विद्यमानता हो। दूसरे शब्दों में x ने y को अपने बच्चे की सगाई में आमन्त्रित किया। y ने आमन्त्रण स्वीकार किया इस मामले में यहां पर एक समझौता उत्पन्न हो गया लेकिन अनुबन्ध नहीं है इसलिए एक आवश्यक तत्व यह है कि धारा 10 के अनुसार इसमें एक वैधानिक सम्बन्ध उत्पन्न करने की इच्छा होनी चाहिये इस प्रकार यहां पर कोई अनुबन्ध नहीं है।
- [17] (स)** प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिये जिसकी अवमानना को स्वीकृति मानी जाए अर्थात् कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि यदि निर्धारित (निर्दिष्ट) समय में स्वीकृति का संवहन नहीं किया जाता तो प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाता है। इस प्रकार x द्वारा बनाया गया प्रस्ताव ही गलत है। यह प्रस्ताव, प्रस्ताव नहीं होगा।

- [18] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1972 की धारा 29 के अनुसार "ऐसा समझौता जिसका मतलब निर्धारित न हो अर्थात् जिसका मूल्य निर्धारित न हो ऐसे समझौते व्यर्थ होते हैं।" इसे निम्न प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ऐसा समझौता जिसका अर्थ निश्चित नहीं है व्यर्थ होता है।
- [19] (स)** एक ऐसा प्रतिफल जिसके अन्तर्गत एक क्रिया जो सकारात्मक वचन के जवाब में किया गया हो उसे निष्पादित प्रतिफल कहते हैं अर्थात् किसी अनुबन्ध में वचन हेतु प्रतिफल (अर्थात् कोई गतिविधि या मनाही) दिया जाता है या निष्पादित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुबन्ध को निष्पादित प्रतिफल के साथ अनुबन्ध कहा जाता है।
- [20] (अ)** दुकान पर माल के प्रदर्शन की स्थिति में कोई भी वस्तु उठा लेना और रोकड़ को मेज पर भुगतान करना स्वयं सेवा स्टोर के लिए एक प्रस्ताव होगा।
- [21] (स)** एक अवैधानिक समझौते का उद्देश्य अवैधानिक होता है। ऐसे समझौतों को कानूनन प्रवर्त्तनीय नहीं कराया जा सकता है।
समपार्श्वक समझौते का प्रभाव: अवैधानिक समझौतों के मामले में समपार्श्वक समझौते व्यर्थ होते हैं।
- [22] (द)** द्विपक्षीय अनुबन्ध में दायित्व या वचन दोनों ही पक्षकारों की ओर से बाकी होते हैं। इस प्रकार, उपरोक्त मामले में 'स' अपना 'DVD Player' 'र' को बेचने का समझौता करता है तथा 'र' भुगतान तिथि पर सुपुर्दगी प्राप्त करने को कहता है। यह द्विपक्षीय अनुबन्ध का उदाहरण है जहाँ 'स' व 'र' दोनों को अपने वचन का पालन करना बाकी है।
- [23] (स)** एक दुकान में माल, मूल्य लेबल लगे रखे होने का आशय प्रस्ताव हेतु आमंत्रण है। चूंकि इससे दुकानदार लोगों को उस प्रस्ताव को देने का आमंत्रण करता है।
- [24] (ब)** स्वीकारक के विरुद्ध, स्वीकृति का संवहन उस समय पूरा माना जाता है जब यह प्रस्तावक की जानकारी में आ जाता है। जब स्वीकृति डाक द्वारा दी जाती है तब स्वीकारक स्वीकृति के प्रति उस समय बाध्य हो जाता है जब स्वीकृति का पत्र स्वीकारक द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है।
- [25] (स)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के अनुसार, ठहराव के न्यायिक विचार में प्रस्ताव एवं स्वीकृति शामिल है। इसके लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिये एक प्रस्ताव करने वाला तथा दूसरा प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला। प्रस्ताव और स्वीकृति वैध होनी चाहिये। एक प्रस्ताव के वैध होने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति आवश्यक होती है, जैसे यह वैधानिक सम्बन्ध उत्पन्न करने वाला होना चाहिये, इसकी शर्त निश्चित होनी चाहिये, इसका उस व्यक्ति के प्रति संवहन होना चाहिये जिसके प्रति इसे किया गया हो, आदि। एक स्वीकृति के वैध होने के लिए कुछ शर्तों की पूर्ति आवश्यक होती है जैसे यह निश्चित होनी चाहिये, यह एक निर्धारित तरीके से होनी चाहिये तथा यह प्रस्ताव के कालातीत होने से पूर्व अधिकृत व्यक्ति को संवाहित होनी चाहिये।
- [26] (स)** मुख्य रूप से अवैधानिक वचनों के दोषमुक्त समपार्श्वक अनुबन्ध अवैधानिक होंगे।
- [27] (ब)** एक प्रस्ताव का संवहन होना चाहिये तथा प्रस्ताव को पूर्ण होने के लिये इसका उस व्यक्ति को संवहन होना चाहिये जिसके प्रति इसे रखा जा रहा है तब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं किया जाता उसकी स्वीकृति हो ही नहीं सकती। प्रस्ताव की अज्ञानता में एक प्रस्ताव की स्वीकृति, स्वीकृति नहीं मानी जाती तथा स्वीकार पर किसी अधिकार का सृजन नहीं करती। अर्थात् फ पुरस्कार पाने का अधिकारी नहीं है।

- [28] (स)** एक प्रस्ताव का संवहन तब पूरा होता है जब वह, जिसके लिये बनाया जाता है उसके पास पहुँच जाता है तब इसलिये यहां पर प्रस्ताव का संवहन पोस्ट के द्वारा हो रहा है इसलिये जब यह स्वीकारक के पास पहुँच जाएगा तब प्रस्ताव का संवहन पूर्ण माना जाएगा अर्थात् 17.1.2008 को।
- [29] (ब)** एक स्वीकृति का संवहन भी तब पूरा हुआ माना जाता है जब प्रस्तावक के पास स्वीकृति का संवहन पूर्ण रूप से तथा सत्यता से पहुँच जाता है। अर्थात् जिस दिन संवहन पूरा हो जाता है उसी दिन का प्रस्ताव पूर्ण रूप से स्वीकृत माना जाता है। प्रश्नानुसार यह 30.1.2008 को पूरा हुआ है।
- [30] (द)** एक प्रस्ताव जो कुछ समय की स्वीकृति के लिये खुला रहता है या खुला रखा जाता है उसे स्थाई प्रस्ताव या सतत प्रस्ताव या मुक्त प्रस्ताव कहा जाता है।
- [31] (स)** यह आम जनता को किया गया प्रस्ताव होता है तथा इसलिये इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है तथा आपेक्षित कार्यवाही कर सकता है भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 8 इंगित करती है कि किसी प्रस्ताव की शर्तों की निष्पत्ति प्रस्ताव की एक स्वीकृति ही होती है।
- [32] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत केवल वही समझौते अनुबन्ध होते हैं यदि वे वैधानिक प्रतिफल के लिए एवं वैधानिक उद्देश्य से किये जाते हैं लेकिन इस मामले में A ने B को अपने घर रात्रि के भोजन पर आमन्त्रित किया B प्रयुक्त समय पर नहीं पहुँच पाया A, B के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करा सकता क्योंकि यहां पर कोई वैधानिक अनुबन्ध नहीं था जिससे A, B को कानूनी तौर पर बाधित कर सके यहां पर अनुबन्ध को सामान्य व्यवस्था माना जाएगा।
- [33] (स)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2 (b) के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी स्वीकृति देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वचन बन जाता है अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तब वचन बन जाता है इस प्रकार वचन एक स्वीकार्य प्रस्ताव है।
- [34] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2 (e) के अन्तर्गत समझौता को निम्न प्रकार समझाया गया है
- “वचन तथा वचनों का वह समूह जो एक दूसरे के लिये प्रतिफल हो, समझौता कहलाता है”
यहां वचन का आशय ऐसे प्रस्ताव से है जो स्वीकार कर लिया गया हो पुनः भारतीय अनुबन्ध की धारा 2 (h) के अनुसार “अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो”
दूसरे शब्दों में
- प्रस्ताव + औपचारिक प्रस्ताव = वचन
वचन + प्रतिफल = समझौता
समझौता + कानून प्रवर्तनीयता = अनुबन्ध
- इस प्रकार सभी अनुबन्धों का परिणाम निकलने के पहले उनको समझौता कहा जाता है इसलिये हम कह सकते हैं
सभी अनुबन्ध समझौते होते हैं लेकिन
सभी समझौते अनुबन्ध नहीं हो सकते।
- [35] (ब)** उत्तर 8 देखें।

- [36] (ब)** अवैधानिक अनुबन्ध प्रारम्भ से ही व्यर्य होते हैं इसको करने की कानूनन मनाही होती है न्यायालय ऐसे अनुबन्ध को प्रवर्तनीय नहीं करा सकेंगे वरन् इससे जुड़े अन्य सभी अनुबन्ध भी प्रभाव शून्य हो जाएं।
- [37] (द)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2 (h) के अनुसार “अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो।
- [38] (ब)** उत्तर 16 देखें।
- [39] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2 (a) के अनुसार जब कोई प्रस्ताव पूर्ण हो जाता है तो इसे जिसके लिये बनाया गया है उसे सेवाहित करना जरूरी होता है जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं होता तब तक कोई स्वीकृति नहीं होती है प्रस्ताव की अज्ञानता में एक प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जाती तथा स्वीकारक पर किसी अधिकार का सृजन नहीं करती। दिये हुए मामले के अनुसार A ने प्रस्ताव को स्वीकार करके उसे पूरा नहीं किया तो इसे स्वीकार नहीं माना जाएगा और A के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं बनेगा अतः A ₹ 1000 B को देने के लिये बाधित नहीं हो सकता।
- [40] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 4 के अनुसार एक प्रस्ताव का संवहन पूरा होता है जब यह उस व्यक्ति की जानकारी में आता है जिसके प्रति इसे किया जाता है। धारा 5 के अनुसार किसी प्रस्ताव का खण्डन स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव के प्रति पूर्ण होने के पहले किसी भी समय किया जा सकता है अर्थात् इस रिति में A ने खण्डन का पत्र B को भेजा जब B के पास पहुंचा उसके पहले तक अनुबन्ध वैध था।
- [41] (द)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2 (i) के अनुसार “एक ठहराव जो एक या अधिक पक्षकारों की मर्जी पर कानून प्रवर्तनीय है लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की मर्जी पर नहीं, एक व्यर्थनीय अनुबन्ध कहलाता है।”
- [42] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 4 तथा 3 के अनुसार एक स्वीकृति का संवहन, प्रस्तावक के विरुद्ध, तब पूरा हो जाता है, जब यह उसको संवहन के मार्ग में छोड़ी जाए ताकि उसको वापस लेना स्वीकारक की पहुँच से बाहर हो जाये। अतः जब स्वीकारक, स्वीकृति पत्र को डाक में डालता है तब प्रस्तावक स्वीकृति द्वारा वाध्य होता है। डाक में डालने का अर्थ है कि पत्र पर सही पता लिखा है, सही स्टैम्प लगा है तथा उसे ठीक से डाक में डाला गया है। यदि स्वीकृति पत्र संवहन के मार्ग में खो जाती है तो भी प्रस्ताव का खंडन नहीं किया जा सकता तथा एक वैध अनुबन्ध बन जायेगा। अतः दिये गये प्रश्न में डाकिये की लापरवाही से स्वीकृति पत्र खो गया है अर्थात् स्वीकारक ने उस पर ठीक से स्टैम्प लगाकर उसकी सुपुर्दी की है, इसलिए एक वैध अनुबन्ध बन गया है।
- [43] (द)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित सभी अनिवार्य तत्व सम्मिलित होने चाहिए ताकि एक वैध अनुबन्ध बन सके:
- (i) प्रस्ताव तथा स्वीकृति के माध्यम से वैधानिक दायित्वों का सृजन
 - (ii) वैधानिक प्रतिफल
 - (iii) क्षमता
 - (iv) स्वतंत्र सहमति
 - (v) वैध ठहराव
 - (vi) मतैक्यता

- [44] (ब)** एक अनुबन्ध को अव्यक्त माना जाता है जब उसको पक्षकारों के आचरण से निकाला जाता है। अतः स्वचालित गणना मशीन के माध्यम से रोकड़ प्राप्त करना अव्यक्त अनुबन्ध का एक उदाहरण है।
- [45] (स)** अधिनियम की धारा 2 (h) के अनुसार, अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो।
- [46] (अ)** एक वैध प्रस्ताव में ऐसा तत्व नहीं होना चाहिए जिसके न मानने पर स्वीकृति मानी जाएगी। इसका अर्थ है कि प्रस्ताव करते समय प्रस्ताव करने वाला यह नहीं कह सकता कि यदि प्रस्ताव एक निश्चित तिथि तक स्वीकृत नहीं किया गया तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। एक प्रस्ताव तभी वैध होगा जब:
- (1) प्रस्ताव के माध्यम से वैधानिक दायित्वों का सूजन होना चाहिए।
 - (2) प्रस्ताव निश्चित, पक्का तथा स्पष्ट होना चाहिए।
 - (3) प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए।
- [47] (ब)** गर्भित अनुबन्ध से तात्पर्य है कानून एक अनुबन्ध का बोध ले लेता है, यद्यपि पक्षकारों ने ऐसा कभी नहीं चाहा था। अतः इस प्रश्न में ए ने ब को जो घड़ी की मरम्मत करता था। उसे मरम्मत करने को कहा। बी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और इसके बदले में ए मरम्मत का खर्च देगा। अतः पक्षकारों में अधिकार तथा दायित्व बन गये इसलिए यह एक गर्भित अनुबन्ध है।
- [48] (ब)** मूल्य सूची प्रस्ताव का नियंत्रण होता है चूंकि दुकानदार प्रस्ताव करने का नियंत्रण देता है। मूल्य सूची स्वयं प्रस्ताव नहीं होता।
- [49] (अ)** अवैधानिक अनुबन्ध वह अनुबन्ध होते हैं जिनको लगाने में कानून रोक लगाता है। उदाहरण— तस्करी किये गये माल को बेचना। सभी अवैधानिक समझौते व्यर्थ होते हैं। कानून ऐसे समझौतों को बाध्य नहीं करता है। अतः जब A B को तस्करी किया गया माल बेचता है तो यह अवैध होने के कारण व्यर्थ होता है।
- [50] (स)** एक तरफा अनुबन्ध वह अनुबन्ध होता है जिसमें केवल एक पक्ष को अपना वचन निभाना होता है ऐसे अनुबन्ध को एक पक्षीय अनुबन्ध कहा जाता है।
- [51] (ब)** उत्तर 16 देखें।
- [52] (द)** अदृश्य या अव्यक्त अनुबन्ध को अव्यक्त माना जाता है जो उसको पक्षकारों के आचरण से निकाला जाता है। उदाहरण : ATM से मुद्रा निकालना, नीलामी में हथौड़े द्वारा बिक्री
- [53] (अ)** यदि एक ठहराव मात्र व्यर्थ हो तथा अवैधानिक न हो तो ऐसे ठहराव के समरांशिक लेन-देन निष्पादन हेतु प्रवर्तनीय कराए जा सकते हैं लेकिन एक अवैधानिक ठहराव के समरांशिक लेन देन भी अवैधानिक बन जाते हैं और इस लिए प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते हैं।
- [54] (ब)** सभी समझौते अनुबन्ध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किये जाते हैं जो अनुबन्ध करने के योग्य हैं, वैधानिक प्रतिफल के लिए हैं, एवं वैधानिक उद्देश्य से किये गये हैं तथा वह ऐसे अनुबन्ध नहीं हैं जिन्हें इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया हो।
- [55] (अ)** जब प्रस्तावगृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधनों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव के प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने विपरीत प्रस्ताव रखा है। ऐसा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति के सामान होता है।

- [56] (अ)** प्रस्ताव हेतु आमन्त्रण केवल प्रस्ताव का सर्कुलेशन है यह प्रस्ताव करने के लिए उकसाने की एक कोशिश है जैसे कंपनी द्वारा अपने अंशों एवं निर्गमन हेतु निकाला गया विवरण पुस्तिका (प्रास्पेक्टस) एक प्रस्ताव हेतु आमन्त्रण होता है उस प्रस्ताव हेतु आमन्त्रण को स्वीकार करना अनुबन्ध नहीं होता है यह प्रस्ताव केवल वार्ता के लिए होता है।
- [57] (अ)** एक पक्षीय अनुबन्ध एक तरफा अनुबन्ध होता है जिसमें केवल एक ही पक्षकार को अपना वचन अथवा कुछ करने या न करने का दायित्व पूरा करना है।
- [58] (अ)** प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए। एक प्रस्ताव को पूर्ण होने के लिये इसका एक व्यक्ति को संवहन होना चाहिये जिसके प्रति इसे रखा जा रहा है। जब तक प्रस्ताव का संवहन नहीं किया जाता उसकी स्वीकृति हो ही नहीं सकती है।
- [59] (अ)** विशेष प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो एक निश्चित व्यक्ति के सामने रखा जाता है तो इसे निर्दिष्ट प्रस्ताव कहा जाता है तथा ऐसे प्रस्ताव केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ही किये जा सकते हैं।
- [60] (द)** गर्भित प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो शब्दों में नहीं व्यक्त किया जाता परन्तु उसे किस्से की परिस्थिति से या पक्षों के व्यवहार से समझा जाता है। रवाना होने के लिए तैयार खड़ी बस अपने आप में एक गर्भित प्रस्ताव है यात्रियों के लिए।
- [61] (ब)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार “एक ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की मर्जी पर कानूनन प्रवर्तनीय है लेकिन दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की मर्जी पर नहीं, एक व्यर्थनीय अनुबन्ध कहलाता है उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, स्वतन्त्र सहमति से नहीं होते अतः वह व्यर्थनीय होते हैं।
- [62] (द)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2 (1) के अनुसार, “एक ठहराव जो कि एक या अधिक पक्षकारों की मर्जी पर कानूनन प्रवर्तनीय है लेकिन दूसरे पक्षकारों की मर्जी पर नहीं, एक व्यर्थनीय अनुबन्ध कहलाता है।
- [63] (स)** दिये गये प्रश्न में, B प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है परन्तु उसमें एक शर्त रख देता है कि वह घर तभी खरीदेगा जब उसका वकील सहमति दे देगा। अतः B का वाक्य पूर्ण परन्तु शर्त पर आधारित है।
- [64] (अ)** एक वैध अनुबन्ध बनाने के लिए पक्षकारों में अपने बीच एक वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने की भावना होनी चाहिए। यह मात्र एक नैतिक दायित्व न होकर वैधानिक होना चाहिए।
- [65] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 13 के अनुसार ‘जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों तो उनके बीच सहमती हुई मानी जाती है’। एक वैध अनुबन्ध बनाने के लिए यह एक प्रमुख तथ्य है। प्रस्ताव के बदले विपरीत प्रस्ताव रखने से यह तथ्य भंग हो जाता है तथा इससे प्रस्ताव समाप्त हो जाता है।
- [66] (स)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) के अनुसार “अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। इसके अतिरिक्त समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे कानून द्वारा व्यर्थ या अवैध घोषित किया जा चुका हो। अतः वह समझौते जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हों उन्हें अनुबन्ध कहा जाता है।
- [67] (स)** यदि एक प्रस्ताव में एक शर्त हो कि प्रस्ताव को स्वीकृति के रूप में स्वीकारकर्ता को एक शर्त का पालन करना पड़ेगा तथा स्वीकारकर्ता उस शर्त को पूरा करने में असमर्थ हो तो यह मान लिया जाता है कि स्वीकारकर्ता की ओर से स्वीकृति नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि प्रस्ताव पूरा नहीं हो पाया और इसे वहीं समाप्त कर दिया जाता है।
- [68] (द)** गर्भित अनुबन्ध से तात्पर्य है गर्भित कानून जो अनुबन्ध का बोध ले लेता है यद्यपि पक्षकारों ने

- ऐसा कभी न चाहा हो। अतः यह अनुबन्ध स्थिति विशेष होते हैं अर्थात् स्थिति पर निर्भर करते हैं।
- [69] (स)** यदि किसी अनुबन्ध में वचन हेतु प्रतिफल (अर्थात् कोई गतिविधि अथवा मनाही) दिया जाता है या निष्पादित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुबन्ध को निष्पादित प्रतिफल के साथ अनुबन्ध कहा जाता है।
दिये गये प्रश्न में चूँकि बेची गई किताब का भुगतान नकद में किया जा चुका है इसलिए यह एक निष्पादित अनुबन्ध है।
- [70] (ब)** विशेष प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो एक निश्चित व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं तथा उन्हें केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है।
दिये गये प्रश्न में कानून की किताब केवल बार काउन्सिल के अध्यक्षों को ही दी गई है इसलिए यह एक विशेष प्रस्ताव है।
- [71] (द)** अवैधानिक अनुबन्ध वह अनुबन्ध होते हैं जिसको करने की कानून मनाही करता है। ऐसे अनुबन्धों का कोई वैध प्रभाव नहीं होता इसलिए न्यायालय इसे प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। एक खेल को निश्चित करने का अनुबन्ध लोकनीति के विरुद्ध माना जाता है इसलिए यह अवैध होता है।
- [72] (अ)** चूँकि कुली अपनी वर्दी में था तो इससे यह स्पष्ट है कि वह पैसेन्जर का सामान प्लेटफार्म से ले जाकर टैक्सी स्टैण्ड पर रख कर अपनी सेवाएँ दे रहा है। हालांकि Z ने कुली से अपनी सेवाएँ देने के लिए नहीं कहा परन्तु उसने कुली को ऐसा करने से रोका भी नहीं।
अतः यह गर्भित स्वीकृति की स्थिति है और Z कुली को पैसे देने के लिए विवश है।
- [73] (स)** एक प्रस्ताव को प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से भिन्न समझा जाना चाहिए। यह एक कोशिश होती है किसी व्यक्ति को प्रस्ताव में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने की। उदाहरण के रूप में किसी वस्तु को बेचने के लिए दिया गया विज्ञापन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कहा जाता है। इसी प्रकार होलिडे पैकेज का विज्ञापन भी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है।
- [74] (द)** अवैधानिक अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसको करने की कानून मनाही करता है, तथा ऐसे अनुबन्ध जो अनैतिक या जननीति के विरुद्ध हो वो भी अवैधानिक अनुबन्ध होते हैं। अतः किसी व्यक्ति की कार को आग लगाने का अनुबन्ध एक अवैधानिक अनुबन्ध है।
- [75] (स)** जब एक निश्चित व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको एक विशिष्ट प्रस्ताव माना जाता है तथा ऐसे प्रस्ताव केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किये जा सकते हैं।
- [76] (स)** धारा 9 के अनुसार, जब प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में न होकर अन्यथा हो जाती है तो वचन को गर्भित माना जाता है। इसलिये यदि गर्भित अनुबन्ध न लिखित और न ही व्यक्त शब्दों में हो तथा अन्य शर्तें पूरी हो रही हों तो भी पूर्णतया वैध होता है।
- [77] (स)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जब कोई प्रस्ताव आम जनता को किया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव कहलाता है।
- [78] (ब)** यदि एक ठहराव व्यर्थ हो लेकिन अवैध न हो तो ऐसे ठहराव के समपार्श्वक लेन-देन निष्पादन हेतु प्रवर्तनीय कराये जा सकते हैं लेकिन अवैधानिक ठहराव के समपार्श्वक लेन-देन व्यर्थ होते हैं।
- [79] (अ)** धारा -10 के अनुसार, 'सभी समझौते अनुबन्ध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किये जाते हैं जो अनुबन्ध करने के योग्य हैं, वैधानिक प्रतिफल के लिये वैधानिक उद्देश्य से

किये जाते हैं तथा वे ऐसे अनुबन्ध नहीं हैं जिन्हें इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है।

[80] (द) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, एक वैध अनुबन्ध के लिए निम्न अनिवार्य तत्वों की सभी समझौते में विद्यमानता आवश्यक होती है—

- (i) प्रस्ताव तथा स्वीकृति के माध्यम से वैधानिक दायित्वों का सृजन
- (ii) वैधानिक प्रतिफल
- (iii) क्षमता
- (iv) स्वतन्त्र सहमति
- (v) एक ही समय एक ही अर्थ में सहमत होना।
- (vi) वैध ठहराव।

एक समझौते की प्रवर्तनीयता के लिये उपरोक्त तत्वों का होना आवश्यक होता है।

[81] (अ) प्रस्ताव तथा प्रस्ताव हेतु आमंत्रण दो भिन्न तथ्य होते हैं। व्योंकि प्रस्ताव को वचन में परिवर्तित करने के लिए मात्र स्वीकृति की आवश्यकता होती है जबकि प्रस्ताव हेतु आमंत्रण में निमंत्रित करने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या पक्षों को सूचित करना चाहता है कि वे उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकते हैं।

अतः एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी अन्य पक्ष से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए किया जाता है, प्रस्ताव हेतु आमंत्रण कहलाता है।

[82] (ब) विशेष प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो एक निश्चित व्यक्ति के सामने रखे जाते हैं तथा उन्हें केवल निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता है। उपरोक्त दिये गये प्रश्न में कानून की किताबें केवल बार काउन्सिल के अध्यक्षों को ही दी गई हैं इसलिए यह एक विशेष प्रस्ताव है।

[83] (द) अप्रवर्तनीय अनुबन्ध : जब एक अनुबन्ध अपने सारतत्व में तो ठीक हो लेकिन किन्हीं तकनीकी दोषों के कारण जैसे लिखित में न होना, परिसीमन द्वारा कालबाधित होना, आदि तो एक या दोनों ही पक्षकार इस पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ऐसे अनुबन्ध को अप्रवर्तनीय अनुबन्ध बताया जाता है।

[84] (अ) जब दो पक्षकार एक-दूसरे के प्रस्ताव के भुलावे में समान प्रस्तावों का विनिमय करते हैं तो प्रस्तावों को प्रति-प्रस्ताव माना जाता है। ऐसी दशा में कोई बाध्यकारी अनुबन्ध नहीं होता व्योंकि एक का प्रस्ताव दूसरे के द्वारा स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

[85] (द) सामान्य प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो आम जनता को किया गया होता है इसलिए कोई भी इसे स्वीकार कर सकता है तथा अपेक्षित कार्यवाही कर सकता है। चूँकि दिये गये विज्ञापन के अनुसार कोई भी प्लैट को खरीद सकता है।

अतः यह एक सामान्य प्रस्ताव है।

[86] (स) बाजी अनुबन्ध एक ऐसा समझौता है जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर राशि के भुगतान का समावेश करता है। बाजी के समझौते का सार है कि कोई पक्ष जीत भी सकता है और हार भी सकता है, जो विचाराधीन अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, उसके लिए अवसर लिए जाते हैं तथा उसके घटित होने में किसी भी पक्षकार का कोई वास्तविक हित नहीं होता।

अतः हम कह सकते हैं कि बाजी का अनुबन्ध एक भाग्य का खेल है।

- [87] (अ)** जब प्रस्तावगृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधनों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव के प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने विपरीत प्रस्ताव रखा है। ऐसा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति के समान माना जाता है। अतः उपरोक्त मामले में B द्वारा वस्तुओं को 10% छूट पर स्वीकार करने को कहना एक विपरीत प्रस्ताव है।
- [88] (ब)** पूर्ण अनुबन्ध को निष्पादित प्रतिफल के साथ अनुबन्ध कहा जाता है।
- [89] (ब)** विक्रय अनुबन्ध में प्रवेश के पूर्व ही यदि सम्पूर्ण निश्चित वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं तो अनुबन्ध व्यर्थ हो जायेगा। यह अनुबन्ध कानूनन प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है तथा ऐसे अनुबन्ध जो प्रवर्तनीय नहीं होते हैं व्यर्थ होते हैं।
- [90] (ब)** जब एक अनुबन्ध अपने सारतत्व में तो ठीक हो लेकिन किन्हीं तकनीकी दोषों के कारण जैसे लिखित में न होना, परिसीमन द्वारा कालबाधित होना, आदि तो एक या दोनों ही पक्षकार इस पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनुबन्ध को अप्रवर्तनीय अनुबन्ध कहते हैं।
- [91] (अ)** जब प्रस्तावगृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधनों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव के प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने प्रस्ताव रखा है। ऐसा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति के समान होता है।
- [92] (अ)** सामान्य प्रस्ताव आम जनता को किया गया प्रस्ताव होता है इसीलिए इसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। दिये गये प्रश्न में, समाचार-पत्र में अपनी पुरानी कार बेचने का विज्ञापन देना, जिससे उस कार को कोई भी खरीद सके, एक सामान्य प्रस्ताव है।
- [93] (ब)** धारा 2 (i) एक व्यर्थ अनुबन्ध की परिभाषा देती है— “एक ठहराव जो कानूनन प्रवर्तनीय नहीं रहता व्यर्थ बन जाता है जब उसकी प्रवर्तनीयता समाप्त हो जाएं”।
- [94] (द)** स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न नियम हैं—
(i) स्वीकृति पूर्ण तथा शर्तरहित होनी चाहिए।
(ii) प्रस्ताव का संवहन।
(iii) स्वीकृति निर्धारित विधि से होनी चाहिए।
(iv) स्वीकृति उचित समय के भीतर दी जानी चाहिए।
(v) मात्र चुप्पी स्वीकृति नहीं होती।
(vi) आचरण द्वारा स्वीकृति।
स्वीकृति किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती है, अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
- [95] (द)** जब प्रस्तावगृहीता मूल प्रस्ताव की शर्तों में संशोधनों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्ताव के प्रति मर्यादित स्वीकृति प्रस्तुत करता है तो यह कहा जाता है कि उसने विपरीत प्रस्ताव रखा है। ऐसा प्रस्ताव मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति के समान होता है। इस प्रकार विकल्प 'd' सही उत्तर है।
- [96] (अ)** भारतीय अनुबन्ध अधिनियम समझौते के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। समझौते का नियम राज्य या व्यक्तियों को सम्मिलित या बाध्य नहीं करता, जो समझौते के पक्षकार नहीं है। अतः इसे वैयक्तिक विधि का एक भाग कहा जायेगा। पक्षकारों के अधिकार एवं कर्तव्य के सम्बन्ध में यह कई सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। इस प्रकार अनुबन्ध ऐच्छिक होता है और पक्षकारों द्वारा किए गए संकल्प को पूर्ण करने के प्रयास की अपेक्षा करता है। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम व्यक्तिगत विधि है।

- [97] (स)** जब एक प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के लिए बनाया जाता है तो यह विशिष्ट प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है और ऐसे प्रस्ताव केवल उस विशिष्ट व्यक्ति द्वारा ही स्वीकार किये जा सकते हैं।
- [98] (स)** स्थायी प्रस्ताव मुक्त प्रस्ताव या सतत प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव है जो स्वीकृति के लिए एक समयावधि तक खुला रहता है। माल की पूर्ति हेतु निविदा, स्थायी प्रस्ताव का एक प्रकार है।
- [99] (ब)** जब अनुबन्ध की विषय-वस्तु तो अच्छी हो लेकिन कुछ तकनीकी दोष जैसे लिखित रूप में न होना, परिसीमाओं द्वारा बाधित आदि के कारण एक या दोनों पक्ष वाद दायर नहीं कर सकते; ऐसे अनुबन्ध को अप्रवर्तनीय अनुबन्ध कहते हैं।
- [100] (स)** स्वीकृति का संवहन इसे स्वीकार करने वाले के विरुद्ध तब पूर्ण होता है, जब यह प्रस्तावक के संज्ञान में आ जाता है। इसलिए भीम के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन तब पूर्ण होगा, जब अमर स्वीकृति का पत्र प्राप्त कर लेता है।
- [101] (स)** दायित्व, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के क्षेत्र से बाहर होते हैं। यह उन अधिकारों और दायित्वों को सम्मिलित करता है, जो पक्षकारों के बीच आपसी अनुबन्ध से उत्पन्न होता है वे अनुबन्धित दायित्व होते हैं।
- [102] (द)** एक अवयस्क का दायित्व फर्म की सम्पत्ति और लाभ के अंश की एक सीमा तक परिभाषित है। अवयस्क के स्वयं के ऋण के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता जो उसकी अव्यस्कता में घटित हुई हो।
- [103] (द)** एक समझौते का निर्माण तब होता है जब एक पक्षकार द्वारा दिये प्रस्ताव पर दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। एक समझौते से अनुबन्ध का निर्माण तब होता है जब समझौता वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हो। एक वैध अनुबन्ध के निर्माण के लिए वैधानिक सम्बन्धों का निर्माण एक आवश्यक तत्व है। यह नैतिक नहीं होना चाहिए अपितु वैधानिक होना चाहिए। इस प्रकार, मोहन और सोहन के मध्य अनुबन्ध व्यर्थ है।
- [104] (द)** एक ऐसा प्रस्ताव जो शब्दों में न होकर किसी कार्य के होने या मामले की परिस्थितियों से होता है, गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। उपरोक्त मामले में बस यात्रियों का इन्तजार करती है, जोकि यात्रियों को ले जाने के लिए भुगतान करने हेतु एक गर्भित प्रस्ताव है।
- [105] (स)** बधाई या उपहार अनुबन्धों के मामले में वचनगृहीता, वचनदाता से उतनी ही राशि वसूल कर सकता है जितनी कि उसने उसके विरुद्ध दायित्व ले लिये हो।
- [106] (ब)** नियम के अनुसार, कोई अजनबी अनुबन्ध के लिए दावा नहीं कर सकता है। उपरोक्त मामले में निर्माता और विक्रेता के मध्य कोई अनुबन्ध नहीं है।
अतः A, B के प्रति कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- [107] (अ)** एक प्रस्ताव का संवहन प्रस्तावगृहीता को होना चाहिए। एक प्रस्ताव का संवहन पूरा होता है जब यह उस व्यक्ति की जानकारी में आता है जिसके प्रति इसे किया जाता है। यदि किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह स्वीकारक के प्रति कोई अधिकार नहीं उत्पन्न करता है। इस प्रकार नौकर पुरस्कार या उपहार पाने का अधिकारी नहीं है।
- [108] (ब)** पक्षकारों में प्रस्ताव तथा स्वीकृति के माध्यम से अपने बीच एक वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने की भावना होनी चाहिए। उनमें वचन को पूरा करने हेतु वचनदाता पर कर्तव्य थोपने तथा

उसको पूरा करने की माँग करने हेतु वचनगृहीता को अधिकार प्रदान करने की भावना होनी चाहिए। यह मात्र एक नैतिक दायित्व न होकर वैधानिक होना चाहिए। इस प्रकार पुत्र की शादी का आमंत्रण भले ही स्वीकार कर लिया गया है, वचनदाता पर कोई वैधानिक दायित्व का निर्माण नहीं करता है।

- [109] (अ) जब एक प्रस्ताव की स्वीकृति डाक द्वारा पत्र भेजकर की जाती है तब यह प्रस्तावक के विरुद्ध उस समय पूरी मानी जायेगी जब स्वीकृति का पत्र पोस्ट कर दिया जाता है तथा इसे वैध स्वीकृति माना जाता है।
- [110] (स) एक अनुबन्ध जिसमें व्युक्तम वचन या दायित्व जो प्रतिफल के रूप में भूमिका निभाते हैं, भविष्य में पूरे किए जाते हैं, निष्पादकीय अनुबन्ध कहलाते हैं।
- [111] (अ) यह मामला गर्भित प्रस्ताव का है क्योंकि बस जयपूर से नयी दिल्ली जाने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही है।
- [112] (द) एकपक्षीय अनुबन्ध एकतरफा अनुबन्ध होता है जिसमें केवल एक ही पक्षकार को अपना वचन अथवा कुछ करने या न करने का दायित्व पूरा करना होता है।
- [113] (द) एक प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर होता है। एक प्रस्ताव निश्चित होता है और उसे एक अनुबंध में परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण को मान लिया जाता है तो उसका परिणाम एक अनुबंध नहीं होता है और केवल एक प्रस्ताव ही समझौते की प्रक्रिया को पूरा करता है। उपरोक्त मामले में अनुबन्ध हेतु बाध्य करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं हैं। यह विज्ञापन प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए आमंत्रण का प्रस्ताव है।
- [114] (ब) ऐसा समझौता जिसका प्रतिफल अवैधानिक हो, व्यर्थ होता है। यह एक ऐसा अनुबन्ध होता है जिसका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता है, न्यायिक अदालत में प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है।

